फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 126/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/129) **श्री लाला मीणा बनाम तहसीलदार सराड़ा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.06.2024	उपस्थिति दौराने बहसः-	

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री सी.पी.पुरोहित, पी.सी.पालीवाल - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी

अनवान

1. श्री लाला पिता श्री शंभुलाल मीणा, निवासी ग्राम थाणा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।

अपीलार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सराड़ा

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय अति.जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 16.12.2020, प्रकरण संख्या 26/2019, बउनवानी श्री लाला मीणा बनाम तहसीलदार सराड़ा

निर्णय

दिनांक 10.06.2024

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अति.जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 16.12.2020, प्रकरण संख्या 26/2019, बउनवानी श्री लाला मीणा बनाम तहसीलदार सराड़ा, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सराड़ा समक्ष पटवारी हल्का थाणा द्वारा धारा-91 एलआर एक्ट के तहत प्रकरण प्रस्तुत कर अवगत कराया किया कि अपीलार्थी श्री लाला मीणा द्वारा द्वारा ग्राम थाणा के आराजी संख्या 1 रकबा 0.0010 हैक्टेयर किस्म चारागाह पर दुकानों का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार सराड़ा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 13.11.2019 से अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, मौके से कब्जा हटाने एवं शास्ति 35 रूपये अधिरोपित करते हुए राजकोष में जमा करने का आदेश प्रसारित किया।

- तहसीलदार, सराड़ा के निर्णय दिनांक 13.11.2019 से असंतुष्ठ होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय अति.जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 16.12.2020 पारित किया।

न्यायालय अति.जिला कलक्टर, उदयपुर के उक्त आदेश दिनांक 16.12.2020 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला सलुम्बर व राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 126/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/129) **श्री लाला मीणा बनाम तहसीलदार सराड़ा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जिनकी बहस दिनांक 05.06.2024 को सुनी गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मेमों व मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है** कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सराड़ा के समक्ष पटवारी हल्का थाणा ने आराजी संख्या 1 रकबा 0.0010 हेक्टेयर किस्म मगरी पर नाजायज कब्जा कर अपीलान्ट द्वारा निर्माण कार्य करा दिये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.11.2019 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट का मौके से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया । अपीलान्ट इस भूमि पर अपने पिता के समय से काबिज है एवं राजस्व रेकर्ड मे किस्म गलत अंकित की गई है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर बिजली का कनेक्शन भी ले रखा है एवं आवंटन की पात्रता रखता है। अधिनस्थ न्यायालय मे उक्त वाद दिनांक 05.11.2019 को संस्थित किया गया है एवं अपीलान्ट को जवाब, शहादत एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया व दिनांक 13.11.2019 को ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया। उक्त निर्णय मेकेनिकल प्रोसेस की तरह निर्णय होकर उचित नही है। नोटिस मे वर्णित आराजी ग्राम थाणा की आबादी के पास लगती हुई भूमि है। ग्राम थाणा की उक्त आराजी के संबंध मे किस्म परिवर्तन करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित कर रखा है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय को निरस्त कराने बाबत अपील अधीनस्थ न्यायालय अति.जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष प्रस्तुत की गई, परन्तु उनके द्वारा भी उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी की अपील को निरस्त कर दिया। ऐसा अपीलाधीन आदेश काबिल निरस्त के है। अपीलान्ट को बेदखल कर देने से उसके परिवार के भरण पोषण मे बाधा होगी। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सराड़ा मे सुनवाई हेतु पर्याप्त समय नही दिये जाने से उक्त निर्णय को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित जाना था जो नहीं किया गया। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को अपास्त करने का अनुरोध किया। **प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार** द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों समक्ष अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, परन्तु वह दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। अपीलार्थी द्वारा राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया जिस पर केवल अतिक्रमी के बेदखली के प्रावधान है। **हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस व अपील मेमों के अंकित कथनों पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।** पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सराड़ा समक्ष पटवारी हल्का थाणा द्वारा धारा-91 एलआर एक्ट के तहत प्रकरण प्रस्तुत कर अवगत कराया किया कि अपीलार्थी श्री लाला मीणा द्वारा द्वारा ग्राम थाणा के आराजी संख्या 1 रकबा 0.0010 हैक्टेयर किस्म चारागाह पर दुकानों का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार सराड़ा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 13.11.2019 से अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, मौके से कब्जा हटाने एवं शास्ति 35 रूपये अधिरोपित करते हुए राजकोष	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 126/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/129) **श्री लाला मीणा बनाम तहसीलदार सराड़ा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में जमा करने का आदेश प्रसारित किया। तहसीलदार, सराड़ा के निर्णय दिनांक 13.11.2019 से असंतुष्ठ होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय अति.जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 16.12.2020 पारित किया। उक्त निर्णयों से व्यथीत होकर हस्तगत अपील पेश की गई। पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी चारागाह भूमि है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा दुकाने बनाकर अनाधिकृत अतिक्रमण कर रखा है। उक्त आराजी चारागाह की भूमि है, जो की प्रतिबंधित भूमि है, जिस पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा-16 का उल्लधंन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रतिबंधित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। प्रतिबंधित भूमि के नियमन/आवंटन के कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। अतिक्रमित भूमि चारागाह की है जिसका उपयोग मात्र पशुओं की चराई हेतु किया जा सकता है, बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के चारागाह भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ हीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में ऐसा कोई प्रस्ताव लिया गया हो तो भी ऐसे प्रस्ताव को किसी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसे प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृति देय नहीं हो। द्वितीय भूमि के आवंटन/नियमन हेतु अलग से प्रावधान निर्देश है जिनके अन्तर्गत विधि अनुसार अलग से कार्यवाही की जाती है। वर्तमान प्रकरण में 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत है, जिसमें अतिक्रमण कर लिये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है। उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा उक्त भूमि पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा होने, विद्युत कनेक्शन होने, किस्म गलत अंकित होने, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव भेजने संबंधी कथन की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। अपीलान्ट का कथन है कि तहसीलदार द्वारा उसे सुनवाई का अवसर नही दिया गया, जबकि दिनांक 08.11.2019 को उपस्थिति स्वरूप अपीलान्ट के हस्ताक्षर मौजुद हो अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया है। दौराने बहस एवं जरिये अपील मेमों, अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विभिन्न उजर प्रस्तुत किये गये, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा वही उजर प्रस्तुत किये गये जो अधीनस्थ न्यायालय समक्ष भी प्रस्तुत किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परिक्षण कर अपना अभिवचन अभिलिखित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अपने कथनों का दस्तावेजी साक्ष्य से सफलतापूर्वक साबित करने का भार सर्वदा लाभार्थी पर ही होता है, परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी हस्तगत अपील में वर्णित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, यह मान भी लिया जाये की तहसीलदार द्वारा उसे अवसर प्रदान नहीं किया गया परन्तु अपीलीय न्यायालयों समक्ष उसे पर्याप्त सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये फिर भी अपीलार्थी आलौच्य आदेशों में किये विवेचन का सफलतापूर्वक खण्डन करने के असफल रहा है। अपीलार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-5(44) के अनुसार अतिक्रमी है, जिसे राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-91 के तहत बेदखल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 126/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/129) **श्री लाला मीणा बनाम तहसीलदार सराड़ा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जा सकता है। तहसीलदार ने धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 के तहत अपीलार्थी को बेदखल करने व कब्जा हटाने का जो निर्णय प्रदान किया है, वह विधि सम्मत, न्यायसंगत एवं तर्क संगत है। अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा तहसीलदार, सराड़ा के निर्णय को यथावत रख कर उचित निर्णय प्रदान किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट अस्वीकार** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों यथा अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.2020 एवं तहसीलदार, सराड़ा का निर्णय दिनांक 13.11.2019 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	